

अति-आवश्यक

क्रमांक 40305 - 409 पी-1/पी.आई.ओ-271, दिनांक 21-10-2009
प्रेषक

राज्य जन सूचना अधिकारी,
पशुपालन एवं डेरिंग विभाग,
हरियाणा, पंचकूला ।

प्रेषित

सभी आदान एवं संवितरण अधिकारी,
पशुपालन एवं डेरिंग विभाग, हरियाणा ।


विषय:- सूचना प्राप्ति अधिकार, 2005 के तहत सूचना उपलब्ध करवाने बारे ।

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में व्यक्त किया जाता है कि प्रायः देखा गया है कि सूचना प्राप्ति अधिकार, 2005 के तहत प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों के सन्दर्भ में भेजी जाने वाली सूचना के एवज़ में पृष्ठों की संख्या से निम्नहस्ताक्षरी को अवगत नहीं करवाया जाता जिस कारण आवेदक को निःशुल्क सूचना भेजनी पड़ती है ।

इस सम्बन्ध में अवगत करवाया जाता है कि सूचना प्राप्ति अधिकार, 2005 के तहत निहित प्रावधान अनुसार आवेदक से आवेदन-पत्र प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर आवेदक को सूचना के पृष्ठों की संख्या एवं वांछित राशि की मांग की जा सकती है । इसके लिये निम्नहस्ताक्षरी द्वारा आपसे दो दिनों में अवगत करवाने के लिये पहले ही लिख दिया जाता है किन्तु आप द्वारा इस ओर ध्यान ही नहीं दिया जाता जिस कारण सरकार को वित्तीय हानि हो रही है ।


इसके अतिरिक्त आवेदक का प्रार्थना-पत्र अग्रेसित करते समय आपको एक सप्ताह में सूचना उपलब्ध करवाने के लिये अनुरोध किया जाता है किन्तु महीनों व्यतीत होने पर भी आप द्वारा सूचना नहीं भेजी जाती जबकि सूचना प्राप्ति अधिकार, 2005 के तहत व्यवस्था अनुसार आवेदन-पत्र प्राप्त होने के एक मास के अन्दर-अन्दर आवेदक को सूचना भेजी जानी होती है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस ओर निजी ध्यान देते हुए निश्चित अवधि में पृष्ठों की संख्या से अवगत करवाते हुए समय पर सूचना भेजे जाना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा किसी भी विपरीत कार्यवाही के लिये आप स्वयं उत्तरदायी होंगे ।


राज्य जन सूचना अधिकारी, 21.10.09.
पशुपालन एवं डेरिंग विभाग,
हरियाणा, पंचकूला ।

पृ0क्रमांक 40410 - ए पी-1/पी.आई.ओ-271, दिनांक 21-10-09

एक प्रति मुख्यालय के सभी शाखा अधिकारियों एवं शाखा प्रभारियों को सूचनार्थ एवं उपरोक्त अनुसार कार्यवाही करने के लिये प्रेषित है ।


राज्य जन सूचना अधिकारी, 21.10.09
पशुपालन एवं डेरिंग विभाग,
हरियाणा, पंचकूला ।